

**राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2013 से 3/2016
भाग—एक**

1 प्रारम्भिक:—

(i) राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला बिलासपुर के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण (हिमाचल प्रदेश) सरकार के कार्मिक विभाग के पत्र संख्या PER(मि011)(ए)(3)—10/75—11 दिनांक 12.3.1991 तथा भाषा एवं संस्कृति विभाग के पत्र संख्या भाषा—सी (13)—2/92 दिनांक 11.5.1999 के दृष्टिगत इस विभाग द्वारा किया गया।

(ii) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:—

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित बकाया पैरों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति परिशिष्ट "क" में दी गई है।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:—

राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला बिलासपुर के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए हैं, श्री चम्बेल सिंह परमार, सहायक नियन्त्रक (ले0प0) व श्री पुनीत शर्मा, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 30.12.2016 से 3.1.2017 के दौरान किया गया। विस्तृत जाँच के लिए निम्नलिखित माहों का चयन किया गया।

वर्ष	आय	व्यय
2013—14	3/2014	3/2014
2014—15	3/2015	3/2015
2015—16	3/2016	3/2016

अंकेक्षण प्रतिवेदन सहायक आयुक्त, उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है, के लिए उत्तरदायी नहीं है। विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क:—

राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200/— आँका गया। सहायक नियन्त्रक (ले0प0) की अधियाचना संख्या 141 दिनांक 3.1.2017 द्वारा सहायक आयुक्त, जिला बिलासपुर को अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित

बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला-9 को भेजने का आग्रह किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला बिलासपुर के अवधि 4/2013 से 3/2016 की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ख" में दिया गया है।

क्र०सं०	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16
1	प्रारम्भिक शेष	1248334	1802707	3375827
2	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	4873117	5678733	5906340
3	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	5839	53291	83726
4	कुल राशि (₹)	6127290	7534731	9365893
5	वर्ष के दौरान व्यय	4324583	4158904	7415511
6	अन्तशेष (₹)	1802707	3375827	1950382

समाधान विवरणिका:-

- (1) रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष ₹1950382
- (2) दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही में दर्ज व्यय के चैक परन्तु भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किये गये (+) 735708
- (3) दिनांक 31.3.2016 तक बैंक में सीधे जमा आय परन्तु रोकड़ बही में दर्ज नहीं की गई (+) 30000
- (4) **कुल राशि ₹2716090**
- (5) दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही में दर्ज आय परन्तु बैंक में राशि जमा नहीं की गई (-) 500
- (6) दिनांक 31.3.2016 को गणना में गलती के कारण रोकड़ बही में दर्शाई गई अधिक आय की राशि ₹(-) 291000
- (7) दिनांक 31.3.2016 को हस्तगत राशि (-) 703206
- (8) अन्तशेष राशि ₹1721384
- (9) दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि ₹1721384
- (i) दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही में दर्ज व्यय के चैक परन्तु भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं

किये गये का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र०सं०	चैक सं०	दिनांक	राशि
1	509647	18.03.2016	195000
2	509707	22.03.2016	85000
3	509662	20.3.2016	7000
4	113012	23.03.2016	30000
5	509698	22.03.2016	5000
6	113005	23.03.2016	7000
7	113020	31.03.2016	47000
8	509683	20.03.2016	5000
9	509677	20.03.2016	7000
10	509650	20.03.2016	8000

11	RTGS	30.03.2016	13289
12	RTGS	30.03.2016	5062
13	RTGS	30.03.2016	8620
14	RTGS	30.03.2016	4000
15	509656	20.03.2016	7500
16	509649	18.03.2016	64050
17	509657	20.03.2016	7500
18	113019	30.03.2016	166398
19	509699	22.03.2016	5000
20	113004	23.03.2016	5000
21	113010	23.03.2016	3500
22	509644	14.03.2016	10000
23	509674	21.03.2016	3000
24	509679	21.03.2016	5000
25	509681	21.03.2016	3500
26	509695	22.03.2016	5000
27	113001	23.03.2016	5000
28	113011	23.03.2016	5000
29	RTGS	30.03.2016	13289
कुल			735708

(ii) दिनांक 31.3.2016 को आय के चेक का विवरण

1	596592	21.03.2016	500
---	--------	------------	-----

(iii) दिनांक 31.3.2016 को बैंक में सीधे जमा हुई राशि का विवरण

1	RTGS	22.03.2016	5000
2	RTGS	31.03.2016	25000

कुल ₹30000

5 सावधि निवेश:-

राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला बिलासपुर के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक सावधि जमा योजना में निवेशित राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	एफ०डी० आर० सं०	निवेश की तिथि	निवेशित राशि (₹)	अवधि	ब्याज %	परिपक्वता की तिथि	परिपक्वता राशि (₹)	प्राप्ति योग्य ब्याज	बैंक का नाम
1	30432	4.3.16	1509830	45 दिन	6.5%	18.4.16	1520692	10862	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
कुल निवेशित राशि			₹1509830						

6 विभिन्न विभागों को नलवाड़ मेला के आयोजन हेतु अग्रिम भुगतान राशियों के समायोजन वाउचर प्राप्त न करना ₹9.00 लाख:-

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि नलवाड़ मेला बिलासपुर के खाते से नलवाड़ मेला के आयोजन हेतु विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं को अग्रिम राशियाँ प्रदान की जाती है तथा मेला

आयोजन के पश्चात सम्बन्धित विभागों एवं संस्थाओं से वास्तविक भुगतान से सम्बन्धित वाउचरों के आधार पर अग्रिम राशियों का समायोजन किया जाता है। अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान निम्न विवरणानुसार विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं को अग्रिम भुगतान राशियों ₹900000/-के वास्तविक भुगतान से सम्बन्धित वाउचर प्राप्त नहीं किए गये थे न ही इन अग्रिम भुगतान राशियों का समायोजन किया गया था। अतः अग्रिम भुगतान राशियों के व्यय के सम्बन्ध में वास्तविक भुगतान से सम्बन्धित वाउचर प्राप्त न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त अग्रिम भुगतान राशियों के सम्बन्धित विभाग/संस्था से अब वास्तविक भुगतान से सम्बन्धित वाउचर प्राप्त करके अग्रिम भुगतान राशियों का समायोजन किया जाए तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

क्र०सं०	चैक नं०	दिनांक	विभाग/संस्था का नाम	अग्रिम भुगतान (₹)
1	88532	18.3.14	जिला युवा सेवायें एवं खेल अधिकारी बिलासपुर	75000
2	88534	19.3.14	—यथोपरि—	75000
3	509620	18.3.15	—यथोपरि—	100000
4	509623	20.3.15	—यथोपरि—	50000
5	नगद भुगतान	19.3.15	नैहरू युवा केन्द्र एवं कनवेनर लोकोत्सव बिलासपुर	100000
6	नगद भुगतान	20.3.15	—यथोपरि—	100000
7	नगद भुगतान	21.3.15	—यथोपरि—	100000
8	509641	14.3.16	जिला युवा सेवायें एवं खेल अधिकारी बिलासपुर	300000
कुल				₹900000

7 ₹0.64 लाख की सामग्री बिना औपचारिकताओं के क्रय करना:—

मै0 गर्ग उद्योग जटोली सोलन को ₹64050 का भुगतान निम्न वर्णित सामग्री के क्रय हेतु चैक नं० 509649 दिनांक 18.3.2016 द्वारा बिल संख्या 264 दिनांक 18.3.2016 के विरुद्ध किया गया था।

क्र०सं०	सामग्री का विवरण	मात्रा	दर	राशि (₹)
1	पोरटेबल टॉयलैट शीट	1 नं०	28500	28500
2	सिंगल वैस्टरन शीट दो नं० टैंक के साथ	1 नं०	32500	32500
				61000
				वैट 5%
				3050
				कुल राशि
				64050

उपरोक्त क्रय के सम्बन्ध में कोई भी निविदा सम्बन्धी औपचारिकताएँ पूर्ण नहीं की गई थी न ही दर निविदा के आधार पर क्रय किया गया था। औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना सामग्री

क्रय करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अनियमित रूप से क्रय की गई सामग्री सक्षम उच्च अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त भविष्य में इस तरह की अनियमितता न दोहराया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

(ख) उपरोक्त क्रय की गई सामग्री की क्रय के सम्बन्ध में स्टॉक प्रविष्टियाँ भी नहीं की गई थी। अतः क्रय की गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियों न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त क्रय की गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

8 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग बिलासपुर से ₹1800/- की कम प्राप्ति बारे:-

चयनित मासों की रसीद बुकों के अवलोकन पर पाया गया कि वर्ष 2014 में जिला नियन्त्रक खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता विभाग बिलासपुर को उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर के पत्र संख्या बी0एल0एस0-एन जैड-2 (1) 2014-8146-8170 दिनांक 1.3.2014 द्वारा राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेला 2014 के लिए पाँच रसीद बुकें जारी की गई इसके सम्बन्ध में जिला नियन्त्रक खाद्य एवं आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग बिलासपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या एफ0डी0एस0-1-15 (स्था) 5155 दिनांक 22.3.2014 को नलवाड़ी मेला बिलासपुर 2014 के आयोजन हेतु स्वेच्छा से धनराशि योगदान के सम्बन्ध में ₹28300 उपायुक्त महोदय बिलासपुर को दी गई। अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित विभाग को जारी रसीदों की जाँच पड़ताल में यह पाया गया कि इन सभी रसीदों से प्राप्त राशि का कुल जोड़ ₹30100 बनता है। अतः सम्बन्धित विभाग से ₹1800/- कम प्राप्त करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा सम्बन्धित विभाग से इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई अमल में लाते हुये कम प्राप्त राशि की वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

9 बिक्री न हुई रसीद बुकों के सन्दर्भ में:-

रसीद बुकों के अवलोकन पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान स्थानीय दुकानदारों और विभागों को जारी की गई रसीद बुकों के माध्यम से जो आय प्राप्त हुई है उन में से परिशिष्ट "ग" अनुसार रसीद बुकों को उपयोग न कर बिक्री न हुई दर्शाया गया है। भविष्य हेतु परामर्श दिया जाता है कि मेले के सम्पन्न होने के पश्चात इन रसीदों को आगामी वर्ष के मेले में

उपयोग न करने हेतु उचित व्यवस्था की जाए ताकि किसी प्रकार के दुरुपयोग की सम्भावना से बचा जा सके।

10 ₹250 का अधिक भुगतान:—

मै0 शर्मा पन्सारी धौलरा रोड बिलासपुर को बिल संख्या 1703 दिनांक दिनांक 21.3.15 के विरुद्ध दिनांक 21.3.2015 को ₹3947 का भुगतान विविध सामग्री क्रय करने पर किया गया था। बिल की गणना की जाँच करने पर पाया गया कि गणना में गलती के कारण बिल का जोड़ ₹3737 के स्थान पर ₹3947 दर्शाया गया था जिसके फलस्वरूप उपरोक्त प्रकरण में ₹210 (₹3947-₹3737) का अधिक भुगतान किया गया था। अतः अधिक भुगतान ₹210 की उचित स्रोत से वसूली करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

11 अग्रिम रजिस्टर को तैयार न करना:—

नलवाड़ मेला के आयोजन हेतु विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं को अग्रिम राशियां प्रदान की जाती है तथा सम्बन्धित विभागों से वास्तविक व्यय से सम्बन्धित भुगतान वाउचर प्राप्त करके अग्रिम भुगतान राशियों का समायोजन किया जाता है। लेकिन अग्रिम भुगतान के सम्बन्ध में अग्रिम रजिस्टर को तैयार नहीं किया था। अग्रिम भुगतान के सम्बन्ध में अग्रिम रजिस्टर को तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त अग्रिम रजिस्टर को तैयार करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

12 ₹0.16 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं वास्तविक भुगतान की रसीदें प्राप्त न करना:—

नलवाड़ मेला के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र) बिलासपुर में स्टेज का निर्माण करने हेतु हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग बिलासपुर को निम्न विवरणानुसार ₹16000 का भुगतान किया गया था लेकिन भुगतान प्राप्ति के सम्बन्ध सम्बन्धित कार्यालय की रसीद अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी न ही सम्बन्धित विभाग से भुगतान की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये गये थे। अतः भुगतान प्राप्ति की वास्तविक रसीदें एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

क्र०सं०	भुगतान की तिथि	भुगतान राशि	विभाग का नाम
1	7.3.15	6000	अधिशाली अभियन्ता हि०प्र० लोक निर्माण विभाग मण्डल-II बिलासपुर
2	14.3.16	10000	अधिशाली अभियन्ता हि०प्र० लोक निर्माण विभाग मण्डल III बिलासपुर
	जोड़	16000	

13 लघु आपत्ति विवरणिका:— यह अलग से जारी नहीं की गई।

14 निष्कर्ष:— लेखों में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—

(चन्द्रेश हाण्डा)

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

0177—2620881

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)xiv 218/02—खण्ड—1—2404—2406 दिनांक: 29.04.
2017 शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:—

- पंजीकृत 1. सहायक आयुक्त, जिलाधीश कार्यालय बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, (भाषा एवं संस्कृति) विभाग हि0प्र0 शिमला—171009
3. अवर सचिव (भाषा एवं संस्कृति) विभाग, हि0प्र0 शिमला—171002

हस्ता/—

(चन्द्रेश हाण्डा)

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

0177—2620881

परिशिष्ट "क"

(पैरा संख्या 1 (ii) में सन्दर्भित)

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2002

1	पैरा-6 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा-6 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा-6 (घ)	अनिर्णीत
4	पैरा-6 (ङ)	अनिर्णीत
5	पैरा-6 (च)	अनिर्णीत
6	पैरा-6 (छ)	अनिर्णीत
7	पैरा-6 (ज)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2003

1	पैरा-3	समाप्त	(लेखा परीक्षा शुल्क ₹1100 जमा कर दिया गया है)
2	पैरा-5 (क)	अनिर्णीत	
3	पैरा-5 (ग)	अनिर्णीत	
4	पैरा-5 (घ)	अनिर्णीत	

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2011

1	पैरा-6	निर्णीत	(अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन चैक संख्या 0661852 दिनांक 5.4.2004 द्वारा कुल राशि ₹60000 का भुगतान करते समय कर लिया है)
2	पैरा-9	निर्णीत	(मुख्यमंत्री कार्यालय हि0प्र0 शिमला से प्राप्त रसीद संख्या 21357 दिनांक 20.3.2006 ₹31000 का अवलोकन कर लिया गया है)

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013

1	पैरा-3	निर्णीत	(लेखा परीक्षा शुल्क ₹3600 जमा कर दिया गया है)
2	पैरा-4	निर्णीत	(सूचनार्थ)
3	पैरा-5	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
4	पैरा-6	अनिर्णीत	
5	पैरा-7	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
6	पैरा-8	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)